XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निगरानी 306–एक/12 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
14.5.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 19/2001–02/अपील (सिनेमा) में पारित आदेश दिनांक 6–9–11 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 8, 32 एवं 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उल्लिखित किए हैं । 4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया है । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत मनोरंजन कर का है जिसमें छविग्रह के स्वामी द्वारा डुप्लीकेट टिकिट की सीरीज चलाकर मनोरंजन कर का अपवंचन किया गया है । माननीय उच्च न्यायालय ने अपवंचन की राशि का 1/3 भाग की राशि न्यायालय आयुक्त चंबल संभाग के समक्ष जमा करने पर आयुक्त को विधान के अंतर्गत विलंब क्षमा करने के संबंध में विचार करने के आदेश दिए थे उक्त राशि आवेदक द्वारा जमा नहीं कराई गई और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में आयुक्त द्वारा जिला आबकारी अधिकारी के आदेश को स्थिर रखे जाने का जो आदेश दिया है उसमें कोई त्रुटि नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । सदस्य	

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय–माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण कमांक– /2012 पुनरीक्षण R-306-I/2012

रामप्रकाश पुत्र मिट्ठनलाल अग्रवाल, मयूर छविगृह, मुरैना, जिला मुरैना म0प्र0 ------ पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा आबकारी विभाग, मुरैना म0प्र0 -------प्रतिप्रार्थी

श्री बी. एस. धाकड़, अभि0 द्वारा आज दि. 8-2-12 को प्रस्तुत
8-2-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

परिवेक्षण एवं पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 8, 32 एवं 50 म0प्र0भू0 राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक– 06.09.2011 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना, प्रकरण कमांक–19/2001–02 अपील (सिनेमा) मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क अधिनियम 1936 एवं आदेश दिनांक 28.12.2011 जिसके द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक–1/2011 निरस्त किया गया, के विरूद्ध वर्तमान पुनरीक्षण ।

B.S. Dhakad Ad

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

शासकीय अधिवक्ता कार्यालय को सूचना उपस्थित नहीं अतः कॉपी नहीं हो सकी। B.S. Dhakad AO

1– यह कि, सहायक जिला आबकारी अधिकारी मुरैना ने दिनांक 18.08.1996 को अपने स्टाफ के साथ मयूर छविगृह मुरैना का 13.55 बजे पर निरीक्षण करना बताते हुए मनोरंजन कर अधिनियम 1936 की धारा 3 (1) एवं मनोरंजन कर नियम 1942 के नियम 16 (2) (डी) (7), 8 अ का उलंघन बताते हुए कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया । जिसमें 3,23,125 रूपये का कर अपबंचन कर शासन को हानि पहुचाना बताया।

2– यह कि, प्रार्थी द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का दिनांक 30.10.1996 को अपने अभिभाषक के माध्यम से आवेदन पेश कर जबाबदेही से पूर्व प्रकरण से संबंधित उन सभी दस्तावेजों की मांग की, जिनके आधार पर प्रार्थी को दोषसिद्ध किया जाना था तदोपरांत युक्तियुक्त अवसर नैसर्गिक न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार बचाव व पक्ष समर्थन का अवसर दिय जाने का निवेदन किया गया । आवेदन की ... द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ... शासन